ZIRF

JUDICIAL MAGISTRATIFIEST CLASS

Case No. 100 01 2017

Proceeding

Order or Proceeding with Signature of Presiding Officer

Signature of Parties of pleaders where Necessary

अर्ज आरक्षी केन्द्र के उपनिरीक्षक / सहायक जिए । जिल्हा अरक्षक / आरक्षक / आरक्षक / आरक्षक / अपराध कि । जिल्हा अपराध के विकद्ध में अभियुक्त / अभियुक्त गण के विकद्ध अभियोग पत्र / परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया।

राज्य द्वारा ए०डी०पी०ओ० श्री पत्रिका कि कि जिल्हा अभियोग

अभियुक्त / अभियुक्तगण पिट फिल्ट फिल

अभियोग पत्र/परिवाद पत्र समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया गया

प्रकरण में संज्ञान के विषय पर विचार किया गया। अभियोग।

प्रित्र (परिवाद पत्र व प्रस्तुत दस्तावेल के अवलोकन से प्रथम दृष्ट्या।
अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध उंपरोक्तानुसार।

भावत्वरं।

अधितियम के अधीन कार्यवाहां कियं जाने के

अधार प्रकट हो रहे हैं। अतः अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा

प्रपान-(1) देवपवस्व के अधीन सज्ञान लिये जाने का आदेश किया जाता है।

प्रकरण का पजीयन आपराधिक पजी

किया जावे।

अभियुक्त / अभियुक्तगण द०५० ति धारा २०७ के अधीन प्रावधानों के प्रकाश में अभियोग पत्र एवं दस्तावेजों की पटनीय प्रति निःशुल्क दिलाधी जाये।

चूकि अपराध जमानती प्रकृति का है। अतः अभियुक्त / अभियुक्त गण की अंतर से 7000 /- (सात हजार हण) की वित्रभृति व इतनी ही राणि

ज्ही प

चूकि मामला सक्षिप्त विचारणाय है। अत सक्षिप्त विचारण प्रास्म किया गया। अभियुक्त / अभियुक्त गण के विरूद्ध भावदेवराव । भावदेवराव विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाये और समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध को पढ़कर सुनाये और समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना स्वेच्छ्या स्वीकार किया। अत अभिवाक् यथा सभव उसके शब्दों में लेखबद्ध किया गया।

अभियुक्त / अभियुक्तगण की स्वेच्छया अपराध की स्वीकारोक्ति को ध्यान में रखते हुए निर्णय प्रथक से टकित कराकर हरताक्षरित, दिनांकित, मुद्रांकित कर घोषित किया गया। अभियुक्त को उक्त अपराध के अधीन दोषसिद्ध करते हुए न्यायालय अवसान तक की अवधि के दण्ड एवं 2000 के रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड के सदाय में व्यतिकम की दशा में अभियुक्त को तथा विवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

निर्णयं की निःशुल्क प्रति अभियुक्त को प्रदान कर पावती लीं।

जाये।
जप्तसुदा संपत्ति मृत्यहीन होने से नष्ट कर किये जाये। संपत्ति मृत्यहीन होने से नष्ट कर व्ययनित की जाये। जप्तसुदा वाहन की दशा में वाहन उसके स्वामी को लौटाया जाये। सुपुर्दगी की दशा में सुपुर्दगीनामा निरस्त किया जाता है तथा अपील की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशों का पालन हो।

प्रकरण का परिणाम आपराधिक पंजी में पंजीबद्ध कर विहित अवधि में अभिलेख संचयन हेतु आवश्यक प्रतिपूर्ति उपरांत अभिलेखागार प्रेपित किया जाये।

Judicial magistrate fusiclass.
(Johad Dist.Bhutti (MER)

. प्नश्च

निर्णयानुसार अभियुक्त/अभियुक्तगण ने अर्थदण्ड की राशि।
2006 का स्वाये अदा की जिसकी पावती बुक।
50.6902 स्सीट क0 सी गई।
अभियुक्त/अभियुक्तगण को राजा मुनताई गई।

वकरण उपराक्त निर्देश अन्सार सिवत हो।

Judicial magistrates ilst glass, Cohad Disc Bhind (M.P.)

9646